राजस्व लोक अदालत मुकाम मुख्यालय बनेड़ा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी — श्री रामचन्द्र मीना
(आर.ए.एस.)

अह
हुक्म
मे— 89/2016

उनवान

नानीलाल पिता मुला बलाई निवासी कल्याणपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

.... प्रार्थीगण

बनाम

गोपाल पिता मांगु खारोल निवासी कल्याणपुरा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
गोपाल पिता रामपाल माली निवासी बनेडा, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
अमरचन्द पिता सालग बलाई निवासी दूदला, तहसील बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा रायजा जरिये मेनेजर आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बनेडा, जिला भीलवाडा

.. विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128,129 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::— श्री मुरारी जोशी— वकील प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक 12.11.2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि **प्रार्थी** ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 [राज]स्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 20.10.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन [किय]ा कि वाके ग्राम धोलादांता, पटवार मण्डल **सुल्तानगढ** तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में **प्रार्थी** खातेदारी [की] भूमि खाता संख्या 35 के आराजी संख्या **205/59, 206/59 कुल किता 02 कुल रकबा 04—14 बीघा** दर्ज [रिका]र्ड है जिसके कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से विपक्षीगण पड़ौसियान से अकसर विवाद होता [रहत]ा है। **प्रार्थी** ने विपक्षीगण को अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा [इन्का]र कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः **प्रार्थी** की उपरोक्त [आरा]जियात की पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया। इसी दौरान [प्रार्थ]नापत्र इस न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प मुकाम बनेडा मे दिनांक 12.11.2016 को पंजीबद्ध किया [गय]ा। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रसारित किए गए। [प्रार्थ]ी पक्ष को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। **प्रार्थी** उक्त [आ]देश की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की [पत्]थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। अतः **प्रार्थी** का प्रार्थनापत्र लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए [स्वी]कार योग्य है।

—:: आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम धोलादांता, पटवार मण्डल [सु]ल्तानगढ तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी खातेदारी की भूमि खाता संख्या 35 के आराजी संख्या **[20]5/59, 206/59 कुल किता 02 कुल रकबा 04—14 बीघा** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने [क]ा आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू—अभिलेख निरीक्षक बैंरा को 500/— [रु]पये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू—अभिलेख [नि]रीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु [लि]खित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की [ज]ावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर [प]त्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को [भ]िजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प मुकाम मुख्यालय बनेडा 12.11.2016 को खुले [न्]यायालय में सुनाया गया।

(रामचन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा